

By E-mail/Post



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office  
पंचदीप भवन, ई.डी.सी. प्लॉट संख्या 23, पाट्टो, पणजी, गोवा-403001  
Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa-403001  
Phone: 0832-2438853 ई-मेल/E-mail : [rd-go@esic.gov.in](mailto:rd-go@esic.gov.in),  
वेबसाइट/Website : [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in)  
Toll free no-1800-11-2526/3839 Fax No-0832-2438858

सं. 32 ए-49/37/1/2024-रा.भा.

दिनांक: .04.2026

## परिपत्र

### विषय : राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना वर्ष 2026-27

मुख्यालय के पत्र संख्या ए-49/16/03/2007-रा.भा., दिनांक 17.04.2026 के अनुक्रम में सूचित किया जाता है कि निगम कार्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना लागू की गई है। इस योजना से संबंधित शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष (01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक) के दौरान प्राप्त ऐसे सुझावों पर नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था है जिन्हें निगम के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपयोगी पाया गया हो।
2. इस योजना में निगम के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी (चिकित्सा और गैर-चिकित्सा) भाग ले सकते हैं। तथापि निगम कार्यालयों में तैनात हिंदी कार्मिक इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।
3. एक सुझाव पर पुरस्कार राशि अधिकतम ₹3000/- (तीन हजार रुपए मात्र) और न्यूनतम ₹600/- (छह सौ रुपए मात्र) होगी तथा प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर ₹12,000/- (बारह हजार रुपए मात्र) तक की राशि के पुरस्कार स्वीकृत किए जाएंगे।
4. सुझाव देने वाले कार्मिक अपने सुझाव, संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अथवा सीधे ही मुख्यालय की राजभाषा शाखा को भेजेंगे। साथ ही उसके एक प्रति राजभाषा शाखा, क.रा.बी.निगम गोवा को भी सूचनार्थ/ रिकॉर्ड हेतु भेजी जाए।
5. प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त सुझावों पर मुख्यालय में गठित मूल्यांकन समिति विचार करेगी तथा समिति की सिफारिशों पर पुरस्कारों का निर्धारण किया जाएगा।

6. उपयोगी/पुरस्कृत सुझावों का पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी के नाम का उल्लेख करते हुए उचित प्रचार भी किया जाएगा।

क्षेत्रीय कार्यालय गोवा सभी अधिकारियों तथा गोवा के सभी शाखा कार्यालयों के शाखा कार्यालय प्रबन्धकों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कर्मिकों के मध्य योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का श्रम करें।

यह परिपत्र क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: मुख्यालय से जारी पत्र दिनांक 17.04.2026

**(शिवाजी नारायण पोल)**

**सहायक निदेशक(राजभाषा(प्रभारी))**

प्रति,

1. क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा के सभी अधिकारी/ अधीक्षक/ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा के सभी कर्मचारी/ शाखाएँ।
3. सभी शाखा प्रबन्धक/ सभी कर्मचारी, शाखा कार्यालय वास्को/ फोंडा/ महाप्सा/मडगांव/पणजी/ बीचोलिम, क.रा.बी.निगम, गोवा।
4. वैयक्तिक सहायक प्रकोष्ठ, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा।
5. महानिदेशक, क.रा.बी.निगम, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
6. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक, क.रा.बी.निगम, गोवा को इसे क.रा.बी.निगम, गोवा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय  
Headquarters  
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002  
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002  
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in  
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

सं: ए-49/16/3/2007-रा.भा.

दिनांक: 17-04-2026

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नाकोतर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के.नगर।

**विषय: राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना वर्ष 2026-2027**

महोदय/महोदया,

विदित हो कि निगम कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन सुझाव पुरस्कार योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष (01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक) प्राप्त ऐसे सुझावों पर नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था है, जिन्हें निगम के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपयोगी पाया गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षेत्र इकाइयों में इस योजना का व्यापक प्रचार नहीं किया जा रहा है, परिणामस्वरूप इस योजना के अंतर्गत प्राप्त सुझावों की संख्या बहुत ही कम होती है।

अतः इस सुझाव पुरस्कार योजना की विस्तृत जानकारी पुनः इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार करें-

1. इस योजना में निगम के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी (चिकित्सा और गैर-चिकित्सा) भाग ले सकते हैं। तथापि निगम कार्यालयों में तैनात हिन्दी कार्मिक इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।
2. एक सुझाव पर पुरस्कार राशि अधिकतम 3000/- रुपये और न्यूनतम 600/- रुपये होगी तथा प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर 12,000/- रुपये तक की राशि के पुरस्कार स्वीकृत किए जाएंगे।
3. सुझाव देने वाले, अपने सुझाव संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अथवा सीधे ही मुख्यालय की राजभाषा शाखा को भेजेंगे।
4. प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त सुझावों पर मुख्यालय में गठित मूल्यांकन समिति विचार करेगी तथा उसकी सिफारिशों पर पुरस्कारों का निर्धारण किया जाएगा।
5. उपयोगी/पुरस्कृत सुझावों का पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी के नाम का उल्लेख करते हुए उचित प्रचार भी किया जाएगा।

भवदीय

(श्याम सुंदर कथूरिया)  
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि-

1. मुख्यालय के सभी अधिकारियों/शाखाओं को सूचना एवं समरूप कार्रवाई हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।